धनबाद जिला (झारखंड) के कोयला खनिकों के मानवाधिकार : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (वर्ष 2000 से वर्तमान तक)

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, झारखण्ड , भारत
के सामाजिक विज्ञान संकाय के , राजनीति विज्ञान विभाग में

पी.एच0 डी0 उपाधि हेतु

शोध –सार

शोधार्थी

प्रिया कुमारी

पंजीयन संख्या : ....

द्वारा

विश्वविद्यालय विभाग : राजनीति विज्ञान (बी. बी. एम. के. यू धनबाद)

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. प्रवीण सिंह (सह - प्राध्यापक)

विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग एवं प्राचार्य, आर.एस. मोर कॉलेज, धनबाद

बिनोद बिहारी महता कोयलांचल विश्वविद्याल, धनबाद, झारखण्ड

जनवरी, 2024

परिचय

धनबाद जिसे 'देश की कोयला राजधानी' के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है । यहां की अधिकांश आबादी किसी ने किसी प्रकार से कोयला उत्खनन कार्य पर ही निर्भर करती है , किंतु जिन परिस्थितियों में कोयला खनिक कार्य करते हैं मानवाधिकारों की दृष्टि से चिंतनीय विषय है । आए दिन खदानों में किसी न किसी प्रकार की दुर्घटनाएं घटती रहती है। अगर हम कोयला खदानों में दुर्घटनाओं के इतिहास को देखते हैं तो हमें इस प्रकार के दुर्घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला मिलती है जिसमें कितने मजदूर की जान चली गई और उन पर आश्रित परिवार यूं ही बेसहारा रह गए । इस प्रकार की दुर्घटनाओं में विश्व विख्यात 27 दिसंबर 1975 को घटित एशिया की सबसे बड़ी खदान दुर्घटना चासनाला(धनबाद) खदान दुर्घटना है जिसमें खदान में पानी भर जाने के कारण खदान में कार्य कर रहे 375 खनिकों की मृत्यु हो गई । 13 नवंबर 1989 रानीगंज (पश्चिम बंगाल) खदान दुर्घटना । 26 सितंबर 1995 गास्लीतांड (धनबाद) खदान दुर्घटना जिसमें 97 खनिकों की मृत्यु हुई 2 फरवरी 2001 बागड़ीगी (धनबाद) खदान दुर्घटना आदि जैसे विभिन्न दुर्घटनाएं खनिकों के मानवाधिकारों के प्रति चिंता उत्पन्न करती हैं ।

इसके अतिरिक्त पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से झरिया धनबाद क्षेत्र में भूमिगत आज धधक रही है और ऐसी स्थिति में खनिक अपनी जान को जोखिम में डालकर खनन कार्य कर रहे हैं। आए दिन खदानों में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं ऐसी स्थिति में कोयला खनिकों के मानवाधिकार कहां तक सुरक्षित हैं ? मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न साहित्य और शोध कार्यों का अध्ययन करके यह पता चलता है कि धनबाद क्षेत्र के कोयला खनिकों के मानवाधिकारों पर इस प्रकार का कोई भी शोध कार्य अभी तक नहीं किया गया है ।अतः कोयला खनिकों के मानवाधिकारों के व्यावहारिक स्थिति की जांच करने के लिए यह शोध कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

प्रस्तावित शोध कार्य में झारखंड राज्य के धनबाद जिले के झरिया और अन्य कोलियरियों में कार्यरत खनिकों के मानवाधिकारों का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि श्रमिकों के जिन मानवाधिकारों का सैद्धांतिक रूप में वर्णन किया गया है व्यावहारिक रूप में खनिकों को वे मानवाधिकार कहाँ तक प्राप्त है ? प्रस्तावित शोध कार्य क्षेत्र कार्य उनमुख एवं गुणात्मक प्रकृति का होगा तथा इसमें ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, एवं विश्लेषणात्मक, पद्धति का प्रयोग किया जएगा । अवलोकन साक्षात्कार प्रश्नावली आदि विधियों का प्रयोग करके साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के माध्यम से तथ्यों का संग्रहण कर उसका विश्लेषण किया जाएगा ।

साहित्य समीक्षा

यस (2019), 'ह्यूमन राइट्स इन इंडिया' यह पुस्तक देश में आधुनिकीकरण की हालिया दौर में हाशिये पर पड़े अल्पसंख्यक समूह को प्रभावित करने वाले मानवाधिकार संरक्षण के बड़े सवालों से निपटने में भारत की विफलता के विषय में निबंध का एक एकीकृत संग्रह प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक में अधिकारों के उल्लंघन के एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन किया गया है, लैंगिक समानता से लेकर यौन अभिव्यास तक, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की न्यायिक समीक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं तक, जल अधिकार से लेकर संकटग्रस्त लोगों के वन अधिकारों तक और गुलवर्ग में मुसलमान के उत्पीड़न से लेकर विवादों को सुलझाने के लिए भारत की लोक अदालतों की समानांतर कानूनी प्रणाली तक। यह भारत के समकालीन उदार लोकतांत्रिक देश होने के दावे पर सवाल उठता है। भारत में ऐसे क्षेत्र जिन पर कम शोध किया गया, प्रमुख अत्याधुनीक मुद्दों जैसे एसिड अटैक परमाणु के खिलाफ विरोध करने का अधिकार आदि में नए विचारों प्रयोगात्मक अध्ययन और विश्लेषण के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है।[1]

पंत (2016), ने अपनी पुस्तक **'21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय संबंध'** में बताया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकारों का मुद्दा पिछले लगभग 2 दशकों में एक ज्वलंत समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है।अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकारों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं बन सकी है।एक ओर यह माना जाता है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक और अविभाज्य हैं तो दूसरी ओर यह तर्क दिया जाता है कि यह देश कल सापेक्ष और विश्व की सांस्कृतिक विविधताओं से अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहां कुछ राज्य दूसरे राज्य को मानवाधिकार के नाम पर दबाने की कोशिश करते हैं तो कभी–कभी मानवाधिकारों की रक्षा के परदे में लिपटे सांप्रदायिक आतंकवाद का भी सामना करनापड़ाहै।[2]

सिंह (2013), 'इंप्लीकेशन ऑफ बेसिक हुमन राइट्स' यह पुस्तक उन अंतर्निहित अधिकारों की गारंटी के बारे में अध्ययन है जो किसी व्यक्ति को इस विश्वास और आश्वासन के साथ समग्र रूप से विकसित होने की ताकत देता है कि किसी भी संकट में चाहे युद्ध हो या आपातकाल ऐसे अधिकार राज्य द्वारा नहीं छीने जाएंगे । यह मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन और उससे विकसित हुए न्यायशास्त्र के लिए विभिन्न अंतर्राष्टीय और क्षेत्रीय तंत्रों का पता लगता है। यह पुस्तक भारतीय संदर्भ में गैर अपमानजनक अधिकार के विकास का भी पता लगाती है इसका निष्कर्ष यह है कि अंतर्राष्टीय स्तर पर गैर अल्पनीय अधिकारों को सुरक्षित करना आवश्यक है।[3]

जलालुद्दीन (2018), ने अपने अध्ययन **'कोल माइनिंग एंड हुमन राइट्स इनीशिएटिंग द राइट टू अ गुड एंड हेल्दी एनवायरमेंट एंड नॉन डेरोगेबल राइट '** में पाया कि एक अच्छे और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को एक अपरिवर्तनीय अधिकार बनाया जा सकता है खासकर जब देश की स्थिति स्थिर हो तो पहल करना बहुत जरूरी है । इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि एक अच्छा स्वस्थ पर्यावरण अन्य मानवाधिकारों जैसे कि स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था ,कार्य ,शिक्षा का अधिकार यहां तक कि जीवन का अधिकार आदि के लिए नींव और निर्माण का कार्य करता है । एक अच्छे और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को एक गैर अपमानजनक अधिकार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विमर्श को आयोजित और विकसित करने की सिफारिश की गई है ।[4]

अग्रवाल एवं दुबे (2019), ने अपने अध्ययन **'भारत में कोयला उद्योग का इतिहास एवं इसका राष्ट्रीयकरण सरगुजा क्षेत्र के कोयला खानों में कार्यरत श्रमिक जीवन पर राष्ट्रीयकरण का प्रभाव'** में पाया कि राष्ट्रीयकरण के पहले जब कोलियरीओं का स्वामित्व निजी हाथों में था तब कोयला खान में कार्यरत श्रमिकों का जीवन स्तर काफी नीचे था चिकित्सा सुविधा, बीमा, बैंकिंग सुविधा, परिवहन की सुविधा आदि का अभाव था वेतन को लेकर हमेशा तालाबंदी एवं हड़ताल हुआ करती थी इन सब कारणों से उत्पादन प्रभावित होता था यह अपेक्षाकृत कम होता था राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खान श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है कोयला खानों में उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुई ।[5]

सिंह (2018), ने अपने अध्ययन **'भारत में मानवाधिकार की परिकल्पना एवं वास्तविक प्रासंगिकता'** में यह पाया कि भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कर हम बाहरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मानवाधिकारों के प्रति काफी सजग है किंतु वास्तविकता कुछ और ही है सन 1997 – 98 की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि देश भर के 28 राज्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कुल 35779 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें 17453 सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार भारत में मानवाधिकारों की अवहेलना हुई और स्त्रियों पर अत्याचार, जेल में कैदियों के मृत्यु और पुलिस यातना आदि के मामले काफी मात्रा में पाए गए ।[6]

शर्मा (2019), ने अपने अध्ययन **'कैदियों के मानव अधिकारों का आलोचनात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में '** यह निष्कर्ष दिया कि कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में पर्याप्त विधिक प्रावधान किए गए हैं न्यायपालिका द्वारा कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया है उसके बाद भी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कैदियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है विधि व्यवस्था के पालन का सर्वथा अभाव है अधिकारियों और कर्मचारियों में उचित प्रशिक्षण का भी अभाव है छत्तीसगढ़ राज्य में

कैदियों को रखने की अच्छी व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य सुविधा का भी अभाव है उन्हें भरपूर पोषण वाला भोजन नहीं मिलता किशोर और युवा अपराधियों को एक साथ रखा जाता है कौशल विकास और सकारात्मक कार्यक्रमों का भी अभाव है क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण उनके मानवाधिकारों के संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि उपर्युक्त अवस्था के लिए डांडिक संस्था ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि यहां के राजनेताओं का भी उतना ही हाथ है ।[7]

ठाकुर (2015), को अपने अध्ययन **'रायपुर जिले में महिलाओं के मानव अधिकार का अध्ययन सन 2005 से अद्यतन'** में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि रायपुर जिले में 50 से भी अधिक महिलाओं को अपने मानवाधिकारों का ज्ञान ही नहीं था राजनीति के उच्चतर संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी 15 से भी कम है । 2005 से 2014 के बीच राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा रायपुर जिले में महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए । 2008 की तुलना में 2014 में बलात्कार की दुर्घटनाओं में कमी आई लेकिन अन्य जिलों की तुलना में रायपुर में सर्वाधिक है । टोकनी प्रताड़ना जो अंधविश्वास से जुड़ी एक कुप्रथा है में कमी आई अपराध के मामलों में वृद्धि हुई 2005 से 2014 के बीच दहेज की कुल 1332 मामले दर्ज किए गए महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई लेकिन अध्ययनरत छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या कम थी रायपुर जिले में कुल महिलाओं में से मात्र 25 महिलाएं ही कार्यरत हैं अन्य जिलों की तुलना में रायपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं की तकनीकी शिक्षा उच्च शिक्षा आदि में रूचि बढ़ी है और साथ ही उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है।[8]

दुबे (2014), ने अपने अध्ययन **'मानव अधिकार और दलित संस्थाएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन** में मध्यप्रदेश में दलित समस्या का सामाजिक वैधानिक पक्ष के अध्ययन' के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि शहरों में रहने वाले दलित पुरुषों संयुक्त परिवार के हैं जिनकी शैक्षणिक स्थिति उच्च है इन दलित परिवारों में दहेज को महत्व देते हुए गृहस्थी बसाने के पक्ष में रहे । आरक्षण के कारण ग्रामीण व शहरी दलितों के बीच असमानता स्तर में वृद्धि आए तथा वे प्रवास को विशेषमहत्व देने लगे यहां तक कि शहरों में प्रवास कर चुके दलितों में वर्ग विभाजन देखने को मिला दलितों में निलंबन विवाह उच्च शैक्षणिक योग्यता नौकरी की प्राथमिकता अन्य जाति में विवाह की प्राथमिकता प्रमुख रही।[9]

रानी (2008), ने अपने अध्ययन **'मानवाधिकार एवं कामकाजी महिलाएं दशा एवं दिशा हनुमानगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में '** पाया कि कामकाजी महिलाओं की जिंदगी तो हरी होती है एक कामकाजी और दूसरी घरेलू महिला की जिसके कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इस अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं अपने कामकाजी जीवन में आने वाली समस्याओं को बताना नहीं चाहती और शिक्षित महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है वह अपनी स्थिति को अपनी

नियति मान चुकी है कुछ शिक्षित महिलाओं ने समस्या के बारे में बताया पर अपना नाम गुप्त रखना चाहती थी और कुछ और शिक्षित महिलाओं ने अपना साक्षात्कार देने से साफ मना कर दिया कुछ कामकाजी महिलाओं ने कहा कामकाजी जीवन बहुत अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है पर उनके चेहरे के भाव देखकर लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है सच बताना नहीं चाहती कुछ शिक्षित महिलाएं शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही है शिक्षा से महिलाओं में जागरूकता आ रही है शिक्षा के साथ ही यह भी आवश्यक है कि महिलाएं अपने मन से डर निकाल कर शोषण के खिलाफ खड़ी हो कुछ महिलाओं ने कहा कि हम शोषक के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमारा ही नाम खराब होगा ।[10]

सूर (2006), ने अपने अध्ययन **'मानवाधिकार एवं बाल श्रमिक छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में '** यह पाया कि मानवाधिकार संस्थाओं ने विविध देशों की परिस्थितियों का अध्ययन नहीं किया उन्होंने इन परिस्थितियों को समझने का प्रयास नहीं किया। भारत सहित अधिकांश और विकसित देशों में बाल श्रमिक शौक से पढ़ाई लिखाई छोड़ कर काम नहीं करते बल्कि उनकी पारिवारिक मजबूरी होती है। यदि बाल श्रमिक काम ना करें तो परिवार के आधे लोग भूखे रह जाएंगे। मानवाधिकार आयोग के सदस्य इन सारी परिस्थितियों से वाकिफ होते हुए भी ऐसी सिफारिश देते हैं कि विकसित और औद्योगिक देशों की परिस्थितियों के अनुकूल होती है जबकि भारत की आबादी 70 लोग गांव में रहते हैं। शहर का 90 काम ग्रामीण मजदूरों द्वारा ही किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिक कई ऐसे छोटे–मोटे काम करके अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं जिससे कि उस घर के बड़े बाहर जाकर काम कर पाते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार चल पाता है अतः सिर्फ बाल श्रमिकों को श्रम करने से रोकने से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता बल्कि इसके पीछे के जो सामाजिक आर्थिक कारक है उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।[12]

तिवारी (2012), ने अपने अध्ययन **'मानवाधिकार एवं वंचित समूह : भारतीय परिदृश्य (फैजाबाद जनपद के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)'**में उन कारणो पर प्रकाश डाला है जिसके कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने फैजाबाद जनपद के 300 लोगों पर अपना अध्ययन किया जिसमें से 67 लोगों को मानवाधिकार की जानकारी है जबकि 33 लोगों को मानवाधिकार की विशेष जानकारी नहीं है। जिससे पता चलता है कि भारतीय ग्रामीण समाज में मानवाधिकार के प्रति लोगों की जागृति बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र में 40 और नगरीय क्षेत्र में 73 लोग मानते हैं कि भारतीय समाज में आज भी महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार में कमी आई है। अन्य जातियों के साथ–साथ समाज में पिछड़ी जाति के लोगों में भी मानवाधिकार के प्रति विचारों में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।[12]

दुबे , अग्रवाल (2019), अपने अध्ययन **'छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन एवं सरगुजा क्षेत्र की कोरिया रियासत के खान श्रमिकों के ऐतिहासिक विवेचन '** में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राष्ट्रीयकरण के पहले अखबार के लिए रिजर्व निजी हाथों में थी तब उस समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र की कोयला खान के श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर काफी नीचे था क्षेत्र में कोयला खदान मालिकों द्वारा यहां के श्रमिकों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता था । ताकि वे अधिक लाभ कमा सके श्रमिकों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी ने मिल मालिकों द्वारा को अधिनियम मजदूरी नियम भर्ती की प्रणाली में वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं करते थे। राष्ट्रीयकारण से पहले सामाजिक सुरक्षा पर किया जाने वाला खर्च ना के बराबर था इसलिए कोयला खान मजदूरों को शोषण से बचने के लिए सरकार ने सन 1973 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया।[13]

मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न साहित्य और शोध कार्यों का अध्ययन करके यह पता चलता है कि मानवाधिकार से सम्बंधित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अध्ययन किये गए हैं, किन्तु धनबाद क्षेत्र के कोयला खनिकों के मानवाधिकारों पर इस प्रकार का कोई भी शोध कार्य नहीं किया गया है। अतः प्रस्तावित शोध कार्य के निष्कर्ष में किसी भी प्रकार की पुनरावृति की संभावना नहीं है। जिस कारण से शोध कार्य के लिये प्रस्तुत विषय का चयन किया गया है।

शोध समस्याएं

कोयला ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है । यह हमारे लिए जितना ज्यादा उपयोगी है इसे प्राप्त करना उतना ही कठिन है । इसके उत्खनन में लगे मजदूरों को प्रतिदिन अनेक जोखिम का सामना करना पड़ता है । आज का धनबाद के क्षेत्र में जहां 100 वर्षों से अधिक समय से भूमिगत आग धधक रही है हालांकि इस आग पर काबू पाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं किंतु सारे प्रयास विफल हो रहे हैं उस परिस्थिति में यह मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालकर खनन कार्य में लगे हुए हैं ।

इस अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि

•1. क्या कोयला खनिकों के मानवाधिकार व्यवहारिक रूप से उन्हें प्राप्त है या कोरे सिद्धांत मात्र है ?

•2. खनिकों को अपने मानवाधिकारों का कितना ज्ञान है ?

•3. वह अपने मानवाधिकारों के बारे में कितने जागरूक है ?

•4. खनिकों के कार्यस्थल पर सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है ?

•5 कार्यस्थल की परिस्थितियों का उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

•6. खनिकों के आवास की व्यवस्था कैसी है ?

•7. उनके मानवाधिकारों को प्रभावी बनाने के लिये प्रबंधन एवं सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्देश्य

प्रस्तावित शोध कार्य का उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं की जांच करना है ।

- देश के विकास में कोयला खनन में कार्यरत खनिकों की भूमिका (महत्व) का अध्ययन करना
- कोयला खदान में कार्यरत खनिकों का अपने मानवाधिकारों के प्रति (ज्ञान का)जागरूकता का अध्ययन करना
- कोयला खनन में कार्यरत खनिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा में सरकार एवं प्रबंधन की भूमिका का अध्ययन करना
- कोयला खनन में कार्यरत खनिकों के कार्यस्थल के पर्यावरण का उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना
- कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जांच करना
- कार्यस्थल पर दुर्घटना से होने वाले मौत से उत्पन्न समस्या और उसके समाधान का अध्ययन करना

परिकल्पना

मुख्य परिकल्पना

- धनबाद के कोयला खनिकों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है ।
- सैद्धांतिक तौर पर मानवाधिकारों के सुरक्षा की व्यवस्था तो की गई है परंतु व्यावहारिक स्तर पर इन व्यवस्थाओं का अभाव है ।

उप - परिकल्पना

- खनिकों के लिए स्वच्छ पर्यावरण का अभाव है ।
- दुर्घटनाओं की संभावना अत्यधिक है ।
- तत्काल उपचार की व्यवस्था नहीं है सुरक्षा के सुदृढ़ प्रबंध का अभाव है ।
- आवास की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है ।
- खनिकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है।

शोध अभिकल्प

शोध अभिकल्प एक रणनीति या खाका है, जो योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विधियों उप विधियों , उपकरणों , परीक्षणों आदि के माध्यम से परिकल्पना परीक्षण प्रदत्त संग्रहण तथा विश्लेषण में सहायक होता है। इसमें शोधकर्ता के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लेने की एक श्रृंखला शामिल होती है ।[16] प्रस्तावित शोध कार्य, क्षेत्र कार्य उन्मुख होगा। इसमें कार्यस्थल पर जाकर वास्तविक स्थितियों का निरीक्षण किया जाएगा । मजदूरों से बातचीत करके उनकी समस्याओं और मांगो की जानकारी ली जाएगी। उच्च अधिकारियों से मिलकर उनका भी पक्ष जानने का प्रयास किया जाएगा। प्रश्नावली और साक्षात्कार द्वारा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी ।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तावित शोध कार्य में झारखंड राज्य के धनबाद जिले में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी. सी. सी. एल.) द्वारा संचालित झरिया , बस्ताकोला और लोदना क्षेत्र से विभिन्न 12 कोलियरियों का अध्ययन किया जएगा ।

शोध पद्धतियां

प्रस्तावित शोध कार्य का स्वरूप गुणात्मक, व्यवहारिक एवं क्षेत्र कार्य उन्मुख होगा तथा ऐतिहसिक, वर्णनात्मक , एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा ।

प्रदत संग्रह के स्रोत - प्रस्तावित शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के प्रदात का प्रयोग किया जाएगा ।

- **प्राथमिक प्रदत : -** साक्षात्कार , प्रश्नावली , अनुसूची तथा अवलोकन विधियों का प्रयोग करके प्राथमिक प्रदत एकत्रित किया जाएगा ।
- **द्वितीयक प्रदत : -** विभिन्न पुस्तक, जर्नल , ई - जर्नल , ई - लाइब्रेरी , पत्र - पत्रिकाओं, सेंसस , सर्वे और सरकारी रिपोर्ट आदि के माध्यम से द्वितीयक प्रदत्त एकत्रित किए जाएंगे।

प्रदत संग्रहण में प्रयुक्त उपकरण : - प्रदत सग्रह के लिए निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जएगा -

- **साक्षात्कार -** कोयला खनन में कार्यरत खनिकों और कुछ उच्च अधिकारियों का साक्षात्कार किया जाएग। साक्षात्कार के लिए हम मिश्रित अनुसूची का प्रयोग करेंगे । जिसमें कुछ प्रश्न पहले से निर्धारित होंगे और कुछ प्रश्न परिस्थिति अनुकूल तत्काल भी किए जा सकेंगे ।

- **प्रश्नावली -** मिश्रित प्रश्नावली का निर्माण किया जाएगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 40 - 50 होगी। कुल प्रश्नों को चार भागों में विभाजित किया जाएगा इसमें –
  - सामान्य जानकारी जैसे नाम आयु लिंग आदि से संबंधित प्रश्न रहेंगे।
  - मानव अधिकार संबंधी प्रश्न रहेंगे ताकि हम यह जान सके कि उन्हें मानव अधिकारों के बारे में कितनी जानकारी है।
  - कार्यस्थल पर उनके अनुभव से संबंधित प्रश्न रहेंगे।
  - सरकार , प्रबंधन और गैर - सरकारी संस्थानों से उनकी अपेक्षाओं से संबंधित प्रश्न रहेंगे।

सांख्यिकीय पद्धति –

काई स्क्वायर , एस. पी. एस. एस.,आरेखीय और सारणीकरण विधि का प्रयोग किया जाएगा।

प्रतिदर्श और प्रतिचयन विधियां : - प्रतिदर्श किसी सांखिकीय आबादी का एक परिमित हिस्सा है जिसके गुणों का अध्ययन संपूर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रस्तावित शोध कार्य में विभिन्न कोलियरियों के प्रतिदर्श लिए जाएंगे।

प्रस्तावित शोध कार्य में संभाव्यता प्रतिचयन प्रविधि के माध्यम से यादृच्छिक प्रतिदर्श का चयन किया जाएगा , जिसमें हम 300 लोगों का चयन करेंगे जिसमें से 270 कोयला खनिकों और अन्य कर्मचारी तथा 30 उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।

प्रस्तावित शोध कार्य का महत्व

किसी भी शोध कार्य का महत्व तभी है जब वह समाज के लिए लाभदायक हो मानव अधिकार सभ्य जीवन का एक आवश्यक तत्व है और किसी भी व्यक्ति के गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक शर्त भी है। आज पूरे विश्व में मानवाधिकारों को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि विश्व में शांति स्थापित की जाए और मनुष्य के जीवन के महत्व को समझा जा सके ।

प्रस्तावित शोध कार्य मानव अधिकारों के महत्व को उजागर करने का एक प्रयास है इससे मानवाधिकारों की प्रासंगिकता सिद्ध होगी साथ ही लोगों में अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी ।

शोध की सीमाएं और भविष्य के कार्य

प्रस्तुत शोध कार्य को करते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जैसे की - अधिकारियों से मिलने में समस्या, खनन स्थल का वास्तविक अनुभव की समस्या, पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी, संचार संबंधी समस्या, वित्तीय समस्या आदि। अतः प्रस्तावित शोध कार्य की कुछ सीमाएं तय की गई है, जिससे की परिणाम के उच्च शुद्धता की दर प्राप्त की जा सके अतः प्रस्तावित शोध कार्य झरिया के कोयला उत्खनन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के मानवाधिकारों पर केंद्रित होगा ।

क्योंकि यह क्षेत्र इतना विस्तृत है भविष्य में किसी अन्य स्थान पर यह अन्य व्यक्ति समूह जैसे बाल मजदूर महिलाओं जनजाति समूह आदि के मानवाधिकारों का अध्ययन किया जा सकता है।

प्रस्तावित शोध का संभावित अध्यायीकरण : -

परिचय - सिंहावलोकन, उद्देश्य , परिकल्पना, महत्व, शोध प्रविधि, साहित्य समीक्षा।

प्रस्तुत शोध कार्य को मुख्यत 5 अध्यायों में विभक्त किया जएगा जो निम्न प्रकार से होंगे –

अध्याय 1 - ऐतिहासिक एवं वैचारिक पृष्ठभूमि

प्रथम अध्याय में ब्रिटिश काल में कोयला खनन के प्रारंभ से लेकर खदानों का राष्ट्रीयकरण के बाद तथा झारखंड के एक अलग राज्य के रूप में स्थापित होने से वर्तमान तक में कोयला खनन का विकास एवं कोयला खनिकों की स्थिति और उनके मानवाधिकारों का वर्णन किया जाएगा । तत्कालीन समय में अन्तर्रष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इनका धनबाद के कोयला खनिकों के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा ।

अध्याय 2 - कोयला खनिकों के मनवाधिकार : भारत एवं झारखंड के संदर्भ में

द्वितीय अध्याय में भारतीय संविधान में श्रमिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए किए गए प्रावधानों का वर्णन किया जाएगा एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा श्रमिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा उसकी समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रावधानों का वर्णन किया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा तथा झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा श्रमिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए गए प्रावधानों का वर्णन किया जाएगा।

अध्याय 3 - धनबाद जिला के कोयला खनिकों की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति

तृतीय अध्याय में धनबाद जिले के कोयला खाने को की सामाजिक स्थिति - उनका जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, आवास, पर्यावरण, एवं प्रतिष्ठा आदि। राजनीतिक स्थिति - राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं सक्रिय भागीदारी का स्तर तथा आर्थिक स्थिति - उनका वर्ग, आय आय के स्रोत आदि का वर्णन किया जाएगा।

अध्याय 4 - मानवाधिकार अधिनियम एवं सरकारी नीतियों का धनबाद के कोयला खनिकों पर प्रभाव

चतुर्थ अध्याय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा मजदूरों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बनाई गई विभिन्न नीतियों का वर्णन किया जाएगा साथ ही इन नीतियों का धनबाद के कोयला खाने को पर पड़ने वाले प्रभाव का भी विश्लेषण किया जाएगा।

अध्याय 5 – वैश्वीकरण एवं गैर सरकारी संगठनों का धनबाद के कोयला खनिकों पर प्रभाव

पंचम अध्याय में वैश्वीकरण का संक्षिप्त परिचय देते हुए वैश्वीकरण के परिणाम स्वरुप धनबाद के कोयला खनिजों की स्थिति में आए परिवर्तन का वर्णन किया जाएगा तथा गैर

सरकारी संगठनों द्वारा धनबाद के कोयला खनिजों के मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करते हुए इसे धनबाद के कोयला खाने को की स्थिति में आए परिवर्तन का विश्लेषण किया जाएगा।

उपसंहार

संदर्भग्रंथ सूची

परिशिष्ट

संदर्भ सूची

1. राय, ए. के. (2001). बागडीगी खदान दुर्घटना एक और जल समाधि, एकलव्य , भोपाल ,पृष्ठ 25
2. राय, ए. के. (2001). बागडीगी खदान दुर्घटना एक और जल समाधि, एकलव्य , भोपाल ,पृष्ठ 25
3. जस, एस. (2019). ह्यूमन राइट्स इन इंडिया , रुटलेज स्टलेस 52 वेंडरबिल्ड एवेन्यू , न्यू यॉर्क
4. पंत, पी. (2016). 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय संबंध, मैकग्रों हिल एजुकेशन
5. सिंह, एम. के. (2013). इंप्लीकेशन ऑफ बेसिक हुमन राइट्स इट्स , लेक्सीस नेक्सीस
6. जे. (2018). कोल माइनिंग एड ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिंग द राइट टू अ गूड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एंड नॉन डेरोगेबल राइट्स, शोधगंगा इनफ्लिबनेट
7. दुबे, जी. एवं अग्रवाल, ए. (2019). छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन एवं सरगुजा क्षेत्र की कोरिया रियासत के खान श्रमिकों का ऐतिहासिक विवेचन प्दजमतदंजपवदंस श्रवनतदंस वितमेमंतबी पद`वबपंस`बपमदबम अवस.9,प्ेे. 1 श्रंदनंतल–2019 (ै्छः 2249 –2496)
8. सिंह, आर के (2018) भारत में मानवाधिकार की परिकल्पना एवं वास्तविक प्रासंगिकता, प्दकपंद श्रै.वब. –च्वस 05 (1) 2018 117–120`चमबपंस ेेनम ै्छ 2348–0084
9. शर्मा , पी. के. (2019). स्वतंत्र भारत में कैदियों के मानव अधिकारों का आलोचनात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में , शोधगंगा इनफ्लिबनेट
10. ठाकुर, के. एस. (2015–16). रायपुर जिले में महिलाओं के मानव अधिकार का अध्ययन सन 2005 से अधतान , शोधगंगा इनफ्लिबनेट
11. दूबे, आर. (2014). मानवाधिकार और दलित समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, शोधगंगा इनफ्लिबनेट
12. रानी, पी. (2008). मानवाधिकार एव कामकाजी महिलाएं दशा एवं दिशा हनुमानगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में , शोधगंगा इनफ्लिबनेट
13. सूर, एम. (2006). मानवाधिकार एवं बाल श्रमिक छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में, शोधगंगा इनफ्लिबनेट
14. तिवारी, एस. (2012). मानवाधिकार एवं वंचित समूह भारतीय परिदृश्य फैजाबाद जनपद के विशेष संदर्भ में समाचार स्तरीय अध्ययन, शोधगंगा इनफ्लिबनेट

15. दुबे, जी. एवं अग्रवाल, ए. (2019). छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन एवं सरगुजा क्षेत्र की कोरिया रियासत के खान श्रमिकों का ऐतिहासिक विवेचन International Journal of research in social science vol.9,Issu. 1 January-2019 (ISSN: 2249 -2496)vol.9.Issu 1 January 2019 (ISSN 2249-2496)

16. सुलेमान, एम. एवं कुमार, दी. (2014 – 2015). मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां, जनरल बुक एजेंसी, पटना

ग्रन्थ सूची

Books –

❖ अग्रवाल, एच. ओ. (2019). अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार , सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन

❖ अग्रवाल, एच. ओ. (2021). मानवाधिकार , सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन

❖ आशीर्वादम, ए.डी. (2017). राजनीति विज्ञान , एस चंद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रामनगर , नई दिल्ली

❖ गाबा, ओ. पी. (2017). राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, मयूर पेपरबैक्स

❖ चंद्रशेखर, एम. (2009). मानवाधिकार और महिलाएं , मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकैडमी भोपाल.

❖ जस, एस. (2019). ह्यूमन राइट्स इन इंडिया , रूटलेज स्टलेस 52 वेंडरबिल्ड एवेन्यू , न्यू यॉर्क

❖ पंत, पी. (2016). 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध , मैकग्रॉ हिल एजुकेशन

❖ मिस्र के. के. सिंह जे. (2003). भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार , मिश्र ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वाराणसी.

❖ विश्वाल, टी. , सिंह एम. के. (2008). संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणाएं तथा प्रसंविदाएं , विश्वाल तपन (सं०), मानवाधिकार जेंडर एवं पर्यावरण, विवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली.

❖ सिंगल, एस. सी. (2012–13) अंतरराष्ट्रीय कानून , लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन , आगरा

❖ सिंह, एमके (2013). इंप्लीकेशन ऑफ बेसिक हुमन राइट्स , लेक्सीस नेक्सीस

❖ सुलेमान, एम. एवं कुमार डी. (2014–15). मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां , जनरल बुक एजेंसी पटना

- त्रिपाठी, आर. एन. (2018). मानव अधिकार की राजनीति : राज्य समाज और मानव सुरक्षा , ए.टी.एस. पब्लिकेशन विजय पार्क दिल्ली
- त्रिपाठी, एम. (2010). भारत में मानवाधिकार, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली.
- सुलेमान, एम. एवं कुमार, दी. (2014 – 2015). मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां, जनरल बुक एजेंसी, पटना

Thesis -

- ठाकुर, के. एस. (2015–16). रायपुर जिले में महिलाओं के मानव अधिकार का अध्ययन सन 2005 से अद्यतन , शोधगंगा इनफ्लिबनेट
- तिवारी, एस. (2012). मानवाधिकार एवं वंचित समूह भारतीय परिदृश्य फैजाबाद जनपद के विशेष संदर्भ में समाचार स्तरीय अध्ययन , शोधगंगा इनफ्लिबनेट
- दुबे, आर. (2014). मानवाधिकार और दलित समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन ,
- पाण्डे, एस. के. (2013). वैश्वीकरण और नारी मानवाधिकार एक अध्ययन , शोधगंगा इनफ्लिबनेट
- रानी, पी. (2008). मानवाधिकार एवं कामकाजी महिलाएं दशा एवं दिशा हनुमानगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में , शोधगंगा इनफ्लिबनेट
- शर्मा, पी. के. (2019). स्वतंत्र भारत में कैदियों के मानव अधिकारों का आलोचनात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में , शोधगंगा इनफ्लिबनेट
- सूर, एम. (2006). मानवाधिकार एवं बाल श्रमिक छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में , शोधगंगा इनफ्लिबनेट

Journals -

- दुबे, जी. एवं अग्रवाल ए. (2019). छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन एवं सरगुजा क्षेत्र की कोरिया रियासत के खान श्रमिकों का ऐतिहासिक विवेचन , , International Journal of research in social science. vol.9,Issu. 1 January- 2019 (ISSN: 2249-2496)
- सिंह, आर. के. (2018). भारत में मानवाधिकार की परिकल्पना एवं वास्तविक प्रासंगिकता , Indian J.Soc. &Pol.05(1):2018:117-120 special Issue ISSN :2348-0084